


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जितेन्द्र मोहन बनाम लो.सू.अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) सू.अ.अ.अपील सं० 160 / 2023 (ऑनलाईन नं.)</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>24.08.23</p>	<p>अपीलार्थी जितेन्द्र मोहन चौधरी, निवासी 10/क्यू/31, टॉप पलोर विवेक विहार रकीम, सेक्टर 10, इसरो सेन्टर के पीछे, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.02.23. में उसके द्वारा (1) तहसील ऑफिस द्वारा जारी एलॉटमेंट आदेश क्रमांक/राजस्व/80/732 दिनांक 31.12.1980 व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार भोपालगढ) से जरिये पत्रांक 291 दिनांक 07.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि इस कार्यालय के पत्रांक/रीडर/सू.अ./2023/131 दिनांक 14.04.23 के जरिये प्रार्थी को सूचित किया गया कि दिनांक 31.12.1980 को भोपालगढ में तहसील कार्यालय सृजित ही नहीं था अतः सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से दिया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार चाही गई सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.) </p>	